**प्रथम अपीलीय अधिकारी**
**कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।**

सूचना का अधिकार अपील संख्या 04/2026

| **अपीलार्थी** | बनाम | **रेस्पोडेन्टस** |
|---|---|---|
| महेन्द्रसिंह पुत्र रणछोड़ सिंह भाटी<br>निवासी– भाटी चौराहा, मगरा<br>पूंजला, मण्डोर, जिला जोधपुर। | | लोक सूचना अधिकारी<br>(अति0 संभागीय आयुक्त)<br>कार्यालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर |

प्रथम सूचना अपील अंतर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

उपस्थितिः–
1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त,जोधपुर) उपस्थित।

## निर्णय

**दिनांक २० मई, 2026**

अपीलार्थी के द्वारा इस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 27.02.2026 को प्रेषित आवेदन में अंकित 07 बिन्दूओं के अनुसार (श्री राजेन्द्रसिंह भाटी के द्वारा भेजी गई मेल पत्र व संलग्न समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियॉ व की गई कार्यालय कार्यवाही की प्रतियॉ, आवेदक के द्वारा भेजे गये मेल मय समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियॉ, उन पर की गई कार्यवाही की सत्यापित प्रतियॉ इत्यादि उपलब्ध कराने) सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया। अपीलान्ट के द्वारा उक्त आवेदन के अनुसार इस कार्यालीय के द्वारा बिन्दू संख्या 4 की सूचना असत्यापित दिये जाने तथा शेष बिन्दू संख्या 1,2,3,5,6,7 की सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने के आधार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 15.04.2026 को यह प्रथम सूचना अपील पेश कर उपरोक्त समस्त सूचनाएं निःशुल्क प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

अपीलार्थी की उक्त प्रथम सूचना अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी से अपील पर टिप्पणी एवं संधारित पत्रावली तलब की गई तथा सुनवाई हेतु दिनांक 11.05.2026 नियत की जाकर तथा अपीलार्थी को भी सुनवाई बाबत नोटिस जारी किया गया।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा ने अपने पत्रांक एडीसी/सू0अ0/प्र.अ./2026/95 दिनांक 14.05.2026 को मूल पत्रावली व टिप्पणी प्रेषित करते हुए अवगत कराया किः–

1. बिन्दू संख्या एक में परिवाद श्री राजेन्द्रसिंह के द्वारा प्रेषित ईमेल/प्रार्थना पत्र दिनांक 29.01.2026 की प्रति कार्यालय की किसी भी शाखा में अप्राप्त होने की स्थिति में आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।
2. बिन्दू संख्या 2 में वर्णित प्रार्थना पत्र/मेल कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में अप्राप्त होने की स्थिति में कार्यवाही नहीं की गई। अतः सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।
3. आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाई दी गई।
4. आवेदक द्वारा चाही गई सूचना उपायुक्त राज0 आवासन मण्डल, चतुर्थ कुडी भगतासनी से सम्बन्धित होने से सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।
5. आवेदके को इस कार्यालय के पत्रांक संस्था/जोध/26/73 दिनांक 23.01.2026 की प्रति मय प्रार्थना पत्र की सूचना उपलब्ध करवा दी गई है।
6. आवेदक के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित उक्त विषयक प्रार्थना पत्र दिनांक 26.12.2025 मे न्यायिक शाखा के द्वारा की गई कार्यवाही दिनांक 16.1.2026 की सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाई जा चुकी है।
7. आवेदक के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित उक्त विषयक प्रार्थना पत्र दिनांक 26.12.2025 में न्यायिक शाखा के द्वारा की गई कार्यवाही दिनांक 24.12.2025 की सत्यापित प्रति आवेदक को उपलब्ध करवाई जा चुकी है।
8. बिन्दू संख्या 1 व 2 में आवेदक के द्वारा अन्य प्रार्थी राजेन्द्रसिंह के द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सूचना चाही गई। उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम अपील प्राप्त होने पर ई मेल से प्राप्त कर लिया गया है जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित है।

उक्त प्रकार से आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के सम्बन्ध में कार्यालय की आवक शाखा से प्राप्त समस्त प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्देशानुसार प्रमाणित मुहर लगाकर समस्त सूचना आवेदक स्वयं को पत्रावली में हस्ताक्षर करवाकर सत्यापित प्रतियॉ उपलब्ध करवाई गई है। अतः प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज फरमावें।

हमने अपीलार्थी की अपील एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया तथा संधारित प्रकरण की पत्रावली का एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005



संभागीय आयुक्त
जोधपुर

का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट के कथनानुसार उनके प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 14.04.2026 के अनुसार कार्यालय हाजा से चाही गई 07 बिन्दुओं की सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा ने कुल 06 पृष्ठ की सूचना दी गई है वो बिना सत्यापित दी गईं तथा बिन्दू संख्या 4 की सूचना असत्यापित दी गई तथा शेष बिन्दू संख्या 1,2,3,5,6,7 की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस कम में लोक सूचना अधिकारी के समक्ष दर्ज हुए आवेदन की पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें 06 पृष्ठ की एक प्रति उपलब्ध है, बिना सत्यापित की हुई पाई गई है। अपीलान्ट की अपील में जो तथ्य अंकित किये गये है, उनके अनुसार अपीलान्ट की आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाकर कार्यालय हाजा के लोक सूचना अधिकारी को आवेदक/अपीलान्ट की ओर से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत किये गये आवेदन के सम्बन्ध में स्वयं के स्तर पर परीक्षण करने, आवेदक के द्वारा चाही गई सूचनाओं बाबत कार्यालय की सभी शाखाओं से लिखित में टिप्पणी/सूचना ली जाकर वांछित सूचनाओं को संकलित करते हुए अधिनियम के तहत नियमानुसार सत्यापित/प्रमाणित करते हुए अपीलान्ट को निःशुल्क प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित कियाा जाता है किवे आवेदक/अपीलान्ट की ओर से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत किये गये आवेदन के सम्बन्ध में स्वयं के स्तर पर परीक्षण करने, आवेदक के द्वारा चाही गई सूचनाओं बाबत कार्यालय की सभी शाखाओं से लिखित में टिप्पणी/सूचना ली जाकर वांछित सूचनाओं को संकलित करते हुए अधिनियम के तहत नियमानुसार सत्यापित/प्रमाणित करते हुए अपीलान्ट को निःशुल्क प्रदान करें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की जावें।

(कन्हैयालाल स्वामी)
संभागीय आयुक्त,
जोधपुर